प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 02.08.2026

थाना चौरी पु लस टीम द्वारा हत्या के प्रयास से संबं धत वांछित अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार।

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 26.05.2026 को समय शाम करीब 07:00 बजे वादी मुकदमा परवेज आलम का भतीजा मो0 आरिफ पुत्र इसमाइल अपने स्कूल के साथी निजान के साथ चौरी बाजार जा रहा था। जैसे ही वे परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे, स्कूल के पुराने ववाद को लेकर अ भयुक्तगण ने चाकू लेकर मां-बहन की भद्दी-भद्दी गा लयां देते हुए मो0 आरिफ पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उसके सीने पर गंभीर घाव हो गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना चौरी में मु०अ०सं० 77/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/191(2) बी०एन०एस० (BNS) पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में वांछित अ भयुक्तों की गरफ्तारी अ भयान के क्रम में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 02.08.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबं धत वांछित अ भयुक्त को उदार धाम मन्दिर पल्हैया के पास से गरफ्तार कया गया। व धक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

मो0 सहबान उर्फ शहवाज मंसूरी पुत्र मो० कय्युम पहलवान (उम्र करीब 28 वर्ष), निवासी- पल्हैया, थाना चौरी, जनपद भदोही।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ०नि० नथुनी संह , का० अं कत यादव , का० अर वन्द यादव, थाना चौरी, जनपद भदोही।